न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी

आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 04/2023

1. दयाराम
2. हरि
3. केदार

पिसरान रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी पाखर प्रथम, तहसील मण्डावर जिला दौसा राजस्थान

...अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश नायब तहसीलदार मण्डावर दिनांक 07.02.2023 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम दयाराम आदि प्रकरण सं0 06/2023 अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित : 1. श्री दिनेश शांडिल्य, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 25.08.2023

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, मण्डावर ने दिनाक 07.02.2023 को ग्राम पाखर–1 तहसील मण्डावर के आ0ख0न0 1382 रकबा 0.06है. किस्म सिवाय चक किस्म गै0मु0 देवस्थान भूमि पर अपीलांट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं लगान के 50 गुना शास्ति एवं 90 दिवस के सिविल कारावास से दंडित कर दिया। गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि पटवारी हल्का ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि संवत 2079 में ग्राम पाखर–1 की भूमि खसरा नंबर 1382 रकबा 0.06है. देवस्थान भूमि पर गैर सायलान द्वारा सरसों की बुवाई कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अपीलांट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.1.2023 को श्री जितेन्द्र सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया जाकर जवाब हेतु समय चाहा गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.2.2023 की तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 07.02.2023 को अधिवक्ता अपीलांट्स के किन्ही कारणों से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 07.02.2023 को ही निर्णय पारित कर तीन माह के सिविल कारावास व शरह लगान के गुना आरोपित शास्ति के दण्ड से दंडित करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। अपीलांटस ने किसी भी देवस्थान भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है ना ही कोई काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को समुचित जवाब व सबूत पेश करने का कोई मौका नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सजा जैसे मुकदमें में पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का कोई मौका देकर निर्णय पारित करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांट्स के

निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होते हुए भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर सजा का आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का की कोई मौका स्थिति की रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट्स को पटवारी हल्का से जिरह का भी कोई मौका नहीं मिला। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डावर का निर्णय दिनांक 07.02.2023 निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि अपीलांट्स को विधिवत रूप से जवाब व सबूत का मौंका देकर मैरिट के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की पटवारी हल्का पाखर–1 द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर अधीनस्थ नायब तहसीलदार मण्डावर द्वारा अपीलांटस को नोटिस जारी किये गये। अपीलांट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.02.2023 को जवाब पेश करने हेतु अवसर दिया गया। नियत दिनांक 07.02.2023 को अपीलांट्स एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर नायब तहसीलदार मण्डावर के द्वारा अतिक्रमियों के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर अपीलांट्स को अतिक्रमित रकबे से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने एवं 3 माह के सिविल कारावास के दंड से दंडित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2079 में राजकीय सिवायचक किस्म गै0मु0 देवस्थान की भूमि खसरा नंबर 1382 रकबा 0.06है. पर सरसों की बुवाई किया जाना अंकित किया है। अपीलांट्स द्वारा राजकीय भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के कब्जा किया जाना सिद्ध होता है। अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांटस खारिज फरमाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का पाखर–1 द्वारा प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर दिया गया। तत्पश्चात अपीलांट्स द्वारा आगामी तारीख पेशी पर स्वयं अथवा अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया किया जाकर बेदखली, आरोपित शास्ति एवं 3 माह के सिविल कारवास से दंडित किया गया है। अपीलांट्स की ओर से प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण हटा लिये जाने एवं वर्तमान में कोई कब्जा नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी जांच तहसीलदार मण्डावर से करवाई गई। तहसीलदार मण्डावर से प्राप्त रिपोर्ट कमांकः 273 दिनांक 10.8.2023 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्तमान में राजकीय भूमि खसरा नंबर 1382 रकबा 0.06है. देवस्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है ना ही किसी व्यक्ति द्वारा कोई काश्त की गई है। मौके पर उक्त खसरा नंबर खाली है। अपीलांट्स द्वारा प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण हटा लेने एवं भूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं होने

निरन्तर 3 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

से अपीलांटस के प्रति हम नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.02.2023 में से सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 25 अगस्त, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा